Regd. No. J. 83

राजस्थान राज-पत्र

सत्यमेव जयते

[विशेषांक]

Rajasthan Gazette

EXTRAORDINARY

साधिकार प्रकाशित] [Published by Authority

वैशाख ५, सोमवार, शक सम्वत् १८८२—अप्रैल २५, १९६०
Vaisakha 5, Monday, Shak Samvat 1882—*April* 25, 1960

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY LIBRARY 7/5/60

भाग ४ (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम

LAW AND JUDICIAL (A) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, April 23, 1960.

No. F. 4 (45)-*LJ/A*/59.—The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the Governor on the 7th day of April, 1960, and is published for general information:—

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS) AMENDMENT ACT, 1960.

(ACT No. 12 OF 1960)

[*Received the assent of the Governor on the 7th day of April,* 1960]

An

Act

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956.

BE it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Eleventh Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title.*—This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Amendment Act, 1960.

2. *Amendment of section 8, Rajasthan Act 6 of 1957.*—In sub-section (1) of section 8 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957), hereinafter referred to as the principal Act—

(a) in clause (a), for the words "rates admissible for the time being to Government servants of the first class", the words "prescribed rates" shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted, and

(b) after the proviso, the following further proviso shall be added and shall be deemed always to have been added, namely:—

"Provided further that, until rates are prescribed under clause (a), travelling allowances shall be payable thereunder to the members of the Legislative Assembly at the rates admissible to Government servants of the first class at the commencement of this Act."

3. *Amendment of section 11, Rajasthan Act 6 of 1957.*—In clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the principal Act, after the words "conditions under which", the words "the rates at which" shall be inserted.

D. C. SHARMA,

Secretary to the Government.

विधि एवं न्याय (क) विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, अप्रेल २३, १९६०

संख्या एफ. ४ (४५) एल. जे ।ए।५९:—राजस्थान आफिशियल लेंग्वेज एक्ट, १९५६ (एक्ट संख्या ४७ सन् १९५६) की धारा ४ के परन्तुक के अनुसरण में राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (आफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमॉल्युमेन्ट्स) अमेन्डमेन्ट एक्ट, १९६० (एक्ट संख्या १२ सन् १९६०) का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ) संशोधन अधिनियम, १९६०

(अधिनियम संख्या १२ सन् १९६०)

[राज्यपाल की स्वीकृति दिनांक ७ अप्रेल, १९६० को प्राप्त हुई]

राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (आफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमॉल्यूमेंट्स) एक्ट, १९५६ में और संशोधन करने हेतु अधिनियम।

राजस्थान राज्य विधान मंडल द्वारा भारत गणराज्य के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है :—

१. संक्षिप्त नाम :—यह अधिनियम, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) संशोधन अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

२. राजस्थान एक्ट ६ सन् १९५७ की धारा ८ का संशोधन :—राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (आफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमॉल्यूमेन्ट्स) एक्ट, १९५६ (राजस्थान एक्ट ६ सन् १९५७) जिसे एतत्पश्चात् मूल एक्ट कहा गया है, की धारा ८ की उप-धारा (१) में—

(क) खण्ड (क) में शब्दों "प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को उस समय स्वीकार्य दरों", के स्थान में शब्द "निर्धारित दरों" प्रतिस्थापित किये जावेंगे और सदैव प्रतिस्थापित किये हुये समझे जावेंगे, तथा

(ख) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक और जोड़ा जावेगा और सदैव जोड़ा हुआ समझा जावेगा, अर्थात्—

"किन्तु यह और शर्त है कि जब तक खण्ड (क) के अन्तर्गत दरें निर्धारित नहीं की जाय तब तक विधान सभा के सदस्यों को तदन्तर्गत

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य दरों पर यात्रा भत्ते देय होंगे"।

३. राजस्थान एक्ट ६ सन् १९५७ की धारा ११ का संशोधन :—मूल एक्ट की धारा ११ की उप-धारा (२) के खण्ड (ख) में शब्द "वे शर्तें जिनके कि अधीन" के पश्चात् शब्द "वे दरें, जिन पर कि" निविष्ट किये जावेंगे।

डी० सी० शर्मा,
शासन सचिव।